2025/162

26/12/25

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

- विश्राम पुत्र गोपी जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

- छीतर पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0 अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 72/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/162

वकील प्राथीः– रामदेव गुर्जर — वकील अप्राथीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.11.2025	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक 26/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
26/12/25	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित प्रति. अनु.। वास्ते प्रतिवादी से जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 7/1/26 में पेश हो।	राजस्व मानचित्र अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने के आदेश पारित किये जाते है तो प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 22 को आपत्ति नहीं है। TDR अराई
7/1/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण। लगातार अवसर [illegible] अनुपस्थित। जवाब [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी दावा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible]	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2025

विश्राम पुत्र गोपी उम्र करीबन 50 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम वादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

बनाम

1. छीतर पुत्र रामकरण जाति जाट (मातुआ) निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थन।
2. कमला पुत्री रामकरण पति सुगना
3. सायरी पुत्री रामकरण पति रामधन

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान ।

4. सुप्यार पुत्री रामकरण पति रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम खेडा गोपालपुरा तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
5. धूकल पुत्र भूरा
6. गोपाल पुत्र सुगना
7. गोरधन पुत्र सुगना
8. छितर पुत्र रामकरण खोखर
9. धन्ना पुत्र सुगना

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

10. नगीना पुत्री बद्री पति प्रधान
11. रोशन खोखर पुत्री बद्री पति मुकेश

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम सान्दोलिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

12. बदाम पत्नि बद्री
13. बालू पुत्र रामकरण
14. श्योजी पुत्र छोटू
15. श्रवण पुत्र रामकरण
16. हनुमान प्रसाद पुत्र बद्री
17. हंसराज पुत्र छोटू
18. बरजी पत्नि हरिराम
19. मेहराम पुत्र तेजू
20. विश्राम पुत्र तेजू
21. सुगनी पत्नि मंगला

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

22. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक

वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर एडवोकेट

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामदेव गुर्जर एडवोकेट .द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की एकल खातेदारी की आराजी ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 366 रकबा 2.3380 हैक्टेयर, किस्म बारानी 1 जिसमें प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। जो निम्न प्रकार से है कि :–

उत्तर – खसरा नम्बर 368 (सरकारी भूमि), खसरा नम्बर 368/2917 (अप्रार्थी संख्या 5 की एकल खातेदारी भूमि)
दक्षिण :– खसरा नम्बर 365/2915 (अप्रार्थी संख्या 18 से 21 की खातेदारी भूमि) व खसरा नम्बर 372 का कुछ भाग (अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 17 की खातेदारी भूमि)
पूर्व :– खसरा नम्बर 372 (अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 17 की खातेदारी भूमि)
पश्चिम खसरा नम्बर 367 (अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि)

उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा / राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि जो ग्राम दादिया पटवार क्षेत्र दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 366 भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 21 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 21 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 द्वारा आये दिन प्रार्थी की आराजी की मेड़, सीव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थी की आराजी में ब्लात, अतिचार,

Scanned with OKEN Scanner

अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये, तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 366 की भूमि बावत् मौका पर्चा दिनांक 19. 06.2011 को करवाया गया है जिसके पश्चात् विवाद होने पर पुनः सीमाज्ञान का आवेदन किया गया उक्त सीमाज्ञान के आवेदन को पूर्व सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2011 का हवाला देते हुये सीमाज्ञान नहीं किया गया है इस कारण पूर्व मौका पर्चा के अनुसार ही पत्थरगढी का अनुतोष चाहा है जो विधिक रूप से प्रार्थी का विधिक अधिकार है एवं पडौसी खातेदार द्वारा भी सीमाज्ञान करवाया गया है जिसका मौका पर्चा संलग्न किया जा रहा है।अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 21 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थी की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थी की आराजी में पत्थरगढी करवाना आवश्यक है चूंकि प्रार्थीगण एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 21 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 21 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई. बुवाई के दिनो में प्रार्थी की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 29.08.205 को उत्पन्न हुआ की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में सीमाओं के लेकर विवाद हुआ जिसके पश्चात् दोनो पक्षों द्वारा पुलिस थाना अंराई में रिपोर्ट दी गयी जिसमें दोनो पक्षों के मध्य आपस में राजीनामा हुआ कि व प्रार्थी को हिदायत दी गयी कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान व नक्शा ट्रेस के अनुसार माननीय न्यायालय से पत्थरगढी के आदेश प्राप्त कर लियाजावे तब प्रार्थी कुछ दिनों के लिये कृषि कार्य में व्यस्त रहा एवं जिसके पश्चात् दिनांक 18.11.2025 को पुनः मौके पर विवाद होने से प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तब से प्रार्थना पत्र कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है तब से कारण निरन्तर जारी है। अप्रार्थी संख्या 22. भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 21 को पडौसी खातेदार होने व जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों अनुसार पक्षकार संयोजित किया गया है।वकील प्रार्थी ने प्रार्थी की एकल खातेदारी की आराजी ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 366 रकबा 2.3380 हैक्टेयर, किस्म बारानी 1 भूमि के नजरी नक्शा /राजस्व ट्रेस / जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दिनांक 28.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 7.1.2026 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी 1 से 21 का जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 7.1.2026 को बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तह0 अराई के खसरा नं0 366 रकबा 2.3380 हैक्टेयर, किस्म बारानी 1 भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 7/1/26........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner